

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर, छत्तीसगढ़

—: विविध आदेश :-

क्रमांक 1102 / कार्या. / 2020

रायपुर, दिनांक 31.08.2020

माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 79 दिनांक 15.07.2020 के अनुसार वैश्विक कोरोना वायरस के प्रसार और संक्रमण को रोकने हेतु आगामी आदेश तक न्यायालयों का नियमित एवं सामान्य कार्य पूर्ववत् स्थगित रखे जाने का निर्देश है। अतः अत्यावश्यक व्यवस्था के तौर पर यह अतिरिक्त आदेश दिया जाता है कि जिला न्यायालय, रायपुर एवं बाह्य न्यायालय गरियाबंद, तिल्दा, राजिम, देवभोग स्थित न्यायालयों में निम्नलिखित तिथियों को लंबित सिविल एवं दाण्डिक प्रकरण उनके समक्ष अंकित तारीख पर सुनवाई पर लिया जायेगा। उक्त व्यवस्था दिनांक 15.09.2020 तक लागू रहेगी, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा न्यायालयों का नियमित और सामान्य कामकाज प्रारंभ करने के संबंध में कोई अन्य व्यवस्था/आगामी आदेश जारी किये जाने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी। यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त निर्देश बाद में जारी किया जायेगा। उक्त अवधि में मात्र अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई न्यायालयों द्वारा की जायेगी, जिसमें जमानत संबंधी मामले, रिमाण्ड कार्य एवं अन्य अत्यावश्यक प्रकरण के मामले शामिल हैं:-

लंबित सिविल/दाण्डिक एवं अन्य समस्त प्रकरण :-

| क्रमांक | प्रकरण नियत दिनांक | आगामी सुनवाई हेतु नियत दिनांक |
|---------|--------------------|-------------------------------|
| 1- | 01-09-2020 | 09-11-2020 |
| 2- | 02-09-2020 | 10-11-2020 |
| 3- | 03-09-2020 | 11-11-2020 |
| 4- | 04-09-2020 | 12-11-2020 |
| 5- | 05-09-2020 | 17-11-2020 |
| 6- | 07-09-2020 | 18-11-2020 |
| 7- | 08-09-2020 | 19-11-2020 |
| 8- | 09-09-2020 | 20-11-2020 |
| 9- | 10-09-2020 | 23-11-2020 |
| 10- | 11-09-2020 | 24-11-2020 |
| 11- | 14-09-2020 | 25-11-2020 |
| 12- | 15-09-2020 | 26-11-2020 |

उक्त अवधि में किसी भी पक्षकार या अधिवक्ता को अपने मामले में न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वे सीधे आगामी तारीख पर न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होंगे।

नोट :-

- 1/ यह आदेश उन मामलों में लागू नहीं होगा, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समयसीमा पर प्रकरण के निराकरण का आदेश दिया गया है। ऐसे मामलों में संबंधित पीठासीन अधिकारी आगामी तारिख नियत कर अधिवक्ताओं और पक्षकारों को सूचित करेंगे।
- 2/ यदि किसी अत्यावश्यक मामले में पक्षकार/अधिवक्ता तत्काल सुनवाई चाहते हैं, तो ऐसे मामले में तत्काल सुनवाई के आवेदन के साथ आवेदन/याचिका न्यायालय अधीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। आवेदन में मोबाईल नम्बर भी लिखा जावेगा, जिस पर अग्रिम कार्यवाही/आदेश की सूचना उन्हें दी जाएगी। बाह्य न्यायालयों में संबंधित न्यायालय में अत्यावश्यक सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसका निराकरण आवेदक/याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- 3/ जिन मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में अधिनिर्णय की राशि अधिकरण में जमा की जा चुकी है, तो उक्त जमा राशि के आहरण हेतु संबंधित पक्षकार/अधिवक्ता तत्काल सुनवाई के आवेदन के साथ आहरण हेतु आवेदन न्यायालय अधीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। आवेदन में मोबाईल नम्बर भी लिखा जावेगा, जिस पर अग्रिम कार्यवाही/आदेश की सूचना आवेदक को दी जाएगी।
- 4/ न्यायालय का प्रतिलिपि अनुभाग प्रतिदिन, दिन में 11:00 बजे से 02:00 बजे तक खुला रहेगा, परन्तु मात्र अत्यावश्यक मामलों से संबंधित प्रतिलिपि प्रदान की जाएगी। अतः अत्यावश्यक मामलों में प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु उक्त अवधि में प्रतिलिपि विभाग में आवेदन प्रस्तुत कर प्रतिलिपि प्राप्त किया जा सकता है।
- 5/ नोट की कंडिका-02 से 04 की व्यवस्था राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किये जाने की स्थिति में लॉकडाउन अवधि तक के लिए स्थगित रहेगा।

सही/-

(राम कुमार तिवारी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)


पृष्ठ संक्रमांक : 1103 / कार्यालय / 2020

रायपुर, दिनांक 31.08.2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर ।
2. विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज/सी.बी.आई., रायपुर ।
3. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर ।

4. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय रायपुर/गरियाबंद।
5. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/नवम/ दशम/ एकादश/द्वादश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर।
6. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर/गरियाबंद।
7. प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर।
8. प्रथम/द्वितीय/तृतीय /पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, रायपुर/गरियाबंद।
9. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/सप्तम/अष्टम/नवम/दशम/ एकादश/द्वादश/त्रयोदश/चतुर्दश/पंचदश/षष्ठदश/सप्तदश/अष्टदश/ नवमदश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, रायपुर/तिल्दा/राजिम/देवभोग।
10. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर।
11. अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड रायपुर/गरियाबंद। (जे.एम.एफ.सी. राजिम)
12. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, रायपुर/गरियाबंद/तिल्दा/राजिम/देवभोग की ओर आदेश की प्रतिलिपि (उनके न्यायालयों) के नोटिस बोर्ड पर अधिवक्तागण एवं जन सामान्य की जानकारी हेतु चस्पा करने हेतु।
13. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा की ओर आदेश की प्रतिलिपि इस निर्देश के साथ प्रेषित की आदेश की प्रतिलिपि जिला न्यायालय रायपुर के वेबसाईट में तत्काल अपलोड कराये।
14. प्रभारी अधिकारी समस्त अनुभाग एवं समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की ओर अपने-अपने अनुभाग/ न्यायालय में पदस्थ कर्मचारियों के मध्य सामान्य विधि से अथवा ई-मेल या वाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।
15. अध्यक्ष/सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, रायपुर की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 (राम कुमार, सचिव)
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 रायपुर (छ.ग.)